

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 1149/29-1(1), देहरादून, दिनांक 11, मार्च 2023.

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड, शासन।

विषय:-

मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या-594-595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या-849-850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कर्स एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संघ व अन्य के संबंध में।

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय के पत्रांक 1/18756/2023/29-1(1) दिनांक 27.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से कुल 989 दैनिक श्रमिकों की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त संलग्न सूची में त्रुटिवश एक पंक्ति (क्रमांक 683) रिक्त रह गयी है, जिसके कारण दैनिक श्रमिकों की कुल संख्या 988 के स्थान पर 989 अंकित हो गया है।

अतः इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से प्रेषित की गयी दैनिक श्रमिकों की सूची में श्रमिकों की कुल सं-988 पढ़ी जाय।

भवदीय,

(निशान्त वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,

पत्रांक

1149/29-1-(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक-76/29-3-(3) दिनांक 25.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्राशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसंधान, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन से मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने हेतु एडवोकेट ऑन रिकार्ड को सूचित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(निशान्त वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,

C.A.O
11.4.2023